पत्र संख्या–कमिश्नर कैम्प/2020–21/ 31 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(कमिश्नर कैम्प)

लखनऊ :: दिनांक :: 29 जून, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

प्रायः देखा जा रहा है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बगैर सीधे अधोहस्ताक्षरी से मिलकर अपने स्थानान्तरण आदि के सम्बन्ध में अनुरोध किया जा रहा है। जबकि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन महोदय के पत्र संख्या–1/3/96–का–4–2020 दिनांक 12 मई 2020 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2020–21 में कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानान्तरण पर रोक भी लगायी गई है। सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बगैर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होना उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–3 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत भी यह स्थिति अत्यन्त लापरवाहीपूर्ण एवं खेदजनक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित कर दें कि मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार कोई भी अधिकारी स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मुख्यालय उपस्थित न हो तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही भविष्य में कोई भी अधिकारी मात्र विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही उपस्थित होंगे।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।